षोडश

बिहार विधान सभा

नवम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 14 फाल्गुन, 1939 (श0) / 05 मार्च, 2018 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 92

(1) गृह विभाग	..	..	77
(2) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	..	..	04
(3) वित्त विभाग	..	..	03
(4) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	..	..	01
(5) सामान्य प्रशासन विभाग	..	..	01
(6) सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग	..	..	02
(7) उद्योग विभाग	..	..	01
(8) गन्ना उद्योग विभाग	..	..	02
(9) निगरानी विभाग	..	..	01
		कुल योग —	92

पेंशन का पुनर्निरीक्षण

*329. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनर्निरीक्षण से संबंधित वित्त विभाग का संकल्प ज्ञापांक 755, दिनांक 20 अक्टूबर, 2017 निर्गत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त संकल्प की कंडिका 7 (पृष्ठ-3) के अनुसार पेंशन प्रदायी प्राधिकार यानी कोषागार पदाधिकारी को दिनांक 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 2005 तक सेवानिवृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन धारकों की पेंशन का निर्धारण एनेक्सचर-डी में दिये गये फार्मूला के आधार पर पेंशन निर्धारित कर महालेखाकार को सूचित करना है परन्तु तीन महीने से अधिक बीत जाने के बावजूद कोषागारों द्वारा 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 2005 तक सेवानिवृत हो चुके कर्मियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को पुनरीक्षित नहीं किया जा रहा है जिसके कारण बुजुर्ग पेंशनभोगी परेशान हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दिनांक 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 2005 तक सेवानिवृत होनेवाले पेंशनभोगियों के पेंशन पुनर्निरीक्षण का कार्य कोषागार में कबतक प्रारंभ कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक।

(2) अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि बिहार कोषागार संहिता के नियमानुसार पेंशन वितरण प्राधिकार के अन्तर्गत कोषागार पदाधिकारी एवं बैंक दोनों आते हैं। जहाँ तक पेंशन के पुनर्निरीक्षण में विलम्ब का प्रश्न है यह आरोप आधारहीन है। दिनांक 1 जनवरी, 2016 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन के पुनर्निरीक्षण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये पेंशन प्रदायी बैंकों की मिटिंग आयोजित कर बैंक के पदाधिकारियों/कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है ।

(3) उपर्युक्त प्रश्नोत्तर-2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*330. श्री फैसल रहमान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ढाका नगर परिषद् के वार्ड सं0-3 के ग्राम विसरहीया में कब्रिस्तान घेराबन्दी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*331. श्री शम्भुनाथ यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के सेमरी प्रखंड में बलीहार पंचायत के ग्राम-नगरपुरा में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*332. श्री अचमित ऋषिदेव--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अन्तर्गत रानीगंज प्रखंड में अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं के लिये छात्रावास नहीं है जिससे इस समुदाय के छात्र-छात्राओं को रहने में काफी कठिनाइयाँ हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब छात्र/छात्राओं के रहने के लिये उक्त प्रखंड मुख्यालय में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*333. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 24 जनवरी, 2018 को प्रकाशित ''कब्रिस्तान की घेराबंदी में गड़बड़ी'' शीर्षक को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसौनी प्रखंड के हरपुरसारी कब्रिस्तान की घेराबंदी निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा तीन नम्बर का ईंट, घटिया सिमेन्ट, लोकल बालू व प्राक्कलन के अनुसार छड़ आदि की भारी अनियमितता की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी निर्माण कार्य में विधायक प्रतिनिधि ने दूरभाष से बेलसंड एस0डी0ओ0 को उक्त निर्माण कार्य की घटिया सामग्री की सूचना की दी थी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी करने वाले संवेदक पर कार्रवाई करते हुये प्राक्कलन के अनुरूप कब्रिस्तान की घेराबंदी करने का विचार रखती है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*334. श्रीमती एज्या यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहिउद्दीनगर प्रखंड के मोहिउद्दीनगर उत्तर पंचायत के बलुआही में बलुआही कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है जिसके कारण कब्रिस्तान चारागाह बन गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*335. श्री अशोक कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत मदनपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत खिरियावाँ के ग्राम-खिरियावाँ में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*336. श्री आबिदुर रहमान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत अररिया प्रखंड के सहासमल पंचायत के बलबात गाँव में कब्रिस्तान है जिसका घेराबंदी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान असुरक्षित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*337. <u>श्री फैसल रहमान</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के ढाका नगर परिषद् के वार्ड नं0-18 ढाका रामचन्द्र कब्रिस्तान जो लहन ढाका जानेवाली सड़क के पश्चिम में स्थित है, जिसकी घेराबन्दी नहीं की गई है, जिसके कारण वाद-विवाद की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अवैध वसूली रोकना

*338. <u>श्री नन्द कुमार राय</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मोतीपुर प्रखंड के मोतीपुर बरूराज रोड में गांधी चौक से आगे स्टैण्ड के नाम पर तीन पहिया एवं चारपहिया वाहनों से यशवंत कुमार, विक्रम कुमार, पिता-शिवपुजन राय, ग्राम-सुन्दरसराय, थाना-मोतीपुर द्वारा अवैध रूप से पैसा वसूला जाता है, जिसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत होता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल पर हो रहे अवैध वसूली को कबतक रोकने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था सुदृढ़ करना

*339. <u>श्री ललित कुमार यादव</u>--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित शीर्षक ''वारदात पर वारदात, पुलिस खाली हाथ'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में विधि व्यवस्था और अपराधियों पर प्रशासन का भय समाप्त हो चुका है अपराधी दिन दहाड़े लूट एवं हत्या की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक राज्य में विधि व्यवस्था सुदृढ़ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ0 पी0 थाना बनाना

*340. <u>श्री राजेन्द्र कुमार</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि प्रखण्ड के हरसिद्धि थाना से मटियारिया कोठी काँटा की दूरी लगभग 10 कि0 मी0 है, जिसके कारण आपराधिक घटनाएं होती रहती है और अपराधी आसानी से भाग जाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर ओ0 पी0 थाना बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*341. डॉ0 राजेश कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखण्ड के नगर पंचायत केसरिया के बैसखवाँ कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की कबतक घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*342. श्री प्रभुनाथ प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के चरपोखरी प्रखंड अन्तर्गत पसौर पंचायत के ग्राम पसौर में एवं सियाडीह पंचायत के ग्राम-बगुसरा में कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं रहने के कारण असमाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओं का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित स्थानों पर कबतक कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यालय का निर्माण

*343. मो0 नवाज आलम--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा प्रखण्ड के आरा का अल्पसंख्यक कार्यालय निर्माण हेतु प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना के पत्रांक 288, दिनांक 12 अप्रील, 2016 द्वारा भवन निर्माण विभाग को आदेश दिया गया है, लेकिन अभीतक अल्पसंख्यक कल्याण का कार्यालय निर्माण नहीं होने का क्या औचित्य है ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*344. डॉ0 शमीम अहमद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के बंजरिया प्रखंड अंतर्गत सेमरा पंचायत के बेला छपरा एवं बंजरिया पंचायत के ग्राम-सिंघिया रेलवे गुमटी से पूरब कब्रिस्तान को असमाजिक तत्वों द्वारा घेराबंदी नहीं रहने के कारण अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*345. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ पूर्व प्रखण्ड के विक्रमपुर पंचायत के महेन्द्रपुर में माँ काली का प्रचीन मंदिर है । उक्त मंदिर में पूजा के लिये कदवा, सुनौली, डगरूआ एवं बायसी प्रखंडों से भक्त हजारों की संख्या में प्रतिदिन आते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्राचीन मंदिर में चहारदीवारी नहीं है जिससे हमेशा असामाजिक तत्वों द्वारा उपद्रव की आशंका बनी रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्राचीन मंदिर की सुरक्षा एवं मंदिर के जमीन को अतिक्रमण से बचाने हेतु चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*346. श्री राज कुमार राय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर प्रखण्ड के ग्राम-सिरसिया एवं ग्राम-मौजी में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना खोलना

*347. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखंड के गया चेरकी रोड में इमलिया स्थान है, जहाँ पर अपराध की घटनाएँ बराबर होती रहती है । यह गुरूआ थाना क्षेत्र में पड़ने के कारण पुलिस को आने में समय लगता है, तबतक अपराधी अपराध कर भाग जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार इमलिया स्थान एवं आस-पास की घटनाओं को रोकने हेतु सगाही में थाना खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*348. श्री (मो०) तौसीफ आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड के महमदनगर पंचायत के ग्राम-खरसेल में कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं किया गया है, इस कब्रिस्तान में कई गाँवों के लोग शव को दफन करने आते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*349. श्री सीताराम यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर प्रखण्ड के बेलागाँव में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं करवाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*350. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि श्रीमती चांदनी कुमारी, पिता कनक लाल उरॉव, सा० लंगड़ा बगान, क्वाटर नं० 577 रानी पतरा, थाना पूर्णियाँ सदर, जिला पूर्णियाँ ने गजानन कोड़ा पिता स्व० राजाराम कोड़ा, ओक्साटाल, थाना अमदाबाद, जिला कटिहार के विरुद्ध महिला थाना कटिहार में अभियोग संख्या 13/17, दिनांक 24 मार्च, 2017 धारा 376/504/34 भ०द०वि० के अन्तर्गत अभियोग अंकित कराया है, लेकिन अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पर कार्रवाई का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*351. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड अंतर्गत पुपरी-सुरसंड एस०एच० रोड मलंग स्थान मंदिर में घेराबंदी नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्वों एवं अवारा पशुओं का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित स्थान पर कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*352. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर प्रखंडान्तर्गत नबीनगर वार्ड नं० 05 जनकपुर तथा वार्ड 02 रमजान बिगहा में कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं हुयी है, जिसके कारण कब्रिस्तान जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*353. डॉ० रामानुज प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के दिघवारा प्रखंडान्तर्गत दिघवारा नगर पंचायत के वार्ड नं०-18 में स्थित कब्रिस्तान एवं मानुपुर पंचायत के मानुपुर स्थित कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तानों की चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*354. श्री (मो०) तौसीफ आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड के शमेश्वर पंचायत के शमेश्वर कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं की गयी है, यह कब्रिस्तान विशाल है एवं कई गाँवों के लोग कब्रिस्तान में शव को दफन करने आते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मॉडल थाना बनाना

*355. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ पूर्व प्रखंड के मुफस्सिल थाने को ना तो अपना जमीन है और न ही गश्ती के लिये जीप है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भवनहीन मुफस्सिल थाना का क्षेत्रफल लगभग 40 कि०मी० है और एक लाख की आबादी की सुरक्षा का जिम्मा है तथा कैदी को रखने के लिये हाजत बहुत छोटा है और थाना में कोई सरकारी मोबाइल नंबर नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त थाना को मॉडल थाना बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक है ?

इन्टरनेट की सुविधा

*356. श्री अचमित ऋषिदेव--क्या मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 16 विश्वविद्यालय, 262 अंगीभूत महाविद्यालय, 7 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, 08 कृषि महाविद्यालय सहित कुल 312 संस्थानों में निःशुल्क वाई-फाई के माध्यम से विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के सभी छात्र एवं कर्मी को इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी 22 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्र एवं कर्मी को निःशुल्क वाई-फाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने से वंचित रखा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में भी निःशुल्क वाई-फाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*357. श्री शकील अहमद खाँ--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखंड के तेतलिया तथा बिझाड़ा ग्राम पंचायत के सबनपुर कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चालू करना

*358. श्री अजीत शर्मा--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर के बिहार स्पन सिल्क मिल एवं विक्रमशीला स्पिनिंग मिल 15 वर्षों से बन्द पड़े हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बिहार स्पिनिंग सिल्क मिल एवं विक्रमशीला स्पिनिंग मिल बंद रहने के कारण मजदूर भुखमरी के कगार पर चले गये हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बन्द मिलों को पुनः कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छुट्टी स्वीकृत की व्यवस्था

*359. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के राजपत्रित पदाधिकारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति वित्त (वैयक्तिक दावा) विभाग द्वारा निर्गत छुट्टी अनुमान्यता प्रतिवेदन के आधार पर ही प्रशासी विभाग द्वारा दी जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रत्येक बार उपार्जित अवकाश का उपभोग कर आने के बाद छुट्टी अनुमान्यता प्रतिवेदन की माँग वित्त विभाग (वैयक्तिक दावा) से प्रशासी विभाग द्वारा की जाती है, जिसमें अनावश्यक विलम्ब होता है और संबंधित पदाधिकारी की छुट्टी अवधि का वेतन लंबित रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बार-बार छुट्टी अनुमान्यता प्रतिवेदन की बाध्यता समाप्त कर वित्तीय वर्ष में एक बार छुट्टी अनुमन्यता प्रतिवेदन के आधार पर छुट्टी स्वीकृत करने की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

केन्द्र स्थापित करना

*360. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने सभी जिला में सूचना भवन बनाया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के सभी अनुमंडल मुख्यालय एवं बड़े प्रखंड क्षेत्र के मुख्यालय में सूचना भवन एवं सूचना केन्द्र नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक अनुमंडल एवं बड़े प्रखंड क्षेत्र के मुख्यालयों तक सूचना केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*361. श्री हरिशंकर यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत हुसैनगंज प्रखण्ड के ग्राम-जमाल हाता स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आरोपित की गिरफ्तारी

*362. श्री कुमार सर्वजीत--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 28 जून, 2017 को प्रकाशित शीर्षक ''समोसा विवाद में चली गोलियाँ और बम, दो दुकानों में लगायी आग'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखण्ड के मतासो पंचायत के ग्राम-बड़गाँव के दलित परिवारों को दबंग जाति के युवकों द्वारा जमकर गोलियाँ चलायी और ताबड़-तोड़ बम भी बरसाये एवं फुंस की दो दुकान में आग लगा दिये गये, जिसका एफ०आई०आर० सं० 214/17, दिनांक 26 जून, 2017 है, जिसमें उक्त थाना कांड के आरोपितों की गिरफ्तारी आजतक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना कांड के आरोपितों को कबतक गिरफ्तारी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी स्थापित करना

*363. डॉ० रामानुज प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गंगा नदी पर बने जे०पी० पुल (दीघा-सोनपुर) पर अक्सर सड़क दुर्घटनाएँ होती रहती है तथा यातायात भी अवरूद्ध रहता है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुल पर एक पुलिस चौकी स्थापित कर यातायात सुगम बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*364. श्री (मो०) आफाक आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत जलालगढ़ प्रखण्ड के डिमिया पंचायत के डिमिया पोखर के पास गरदहा कब्रिस्तान है, जिसकी घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*365. श्री सुनील कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड डुमरा स्थित पंचायत विशनपुर के गोप नाथपुर गाँव में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने से ग्रामीणों को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि उपलब्ध कराना

*366. डॉ० अब्दुल गफूर--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत बिहार के सभी जिला के अल्पसंख्यक को ऋण दिया जाना है, लेकिन अबतक शेखपुरा, अरवल, बक्सर, लक्खीसराय, कैमूर जैसे कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ वर्ष 2016-17 में ऋण नहीं दिये गये, यदि हाँ, तो सरकार बिहार के सभी जिला को अल्पसंख्यक आबादी के अनुपात में अल्पसंख्यक रोजगार योजना राशि कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*367. श्री सुनील कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत डुमरा प्रखंड स्थित तलखापुर डुमरा पंचायत के राजानगर में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण दोनों तरफ से लखनदेई नदी से कटाव भी हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*368. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड अंतर्गत बलहा मकसुदन पंचायत के ग्राम-बलहा में एवं पुपरी पेट्रोल पम्प के सामने वाला कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से अवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित स्थानों पर कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० की स्थापना

*369. श्रीमती अरूणा देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखण्ड अन्तर्गत बाघीबरडीहा मोड़ स्थित है;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त मोड़ पर एकान्त होने के कारण देवघर जानेवाली वाहन के साथ घटनायें घटती रहती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त मोड़ पर एक स्थायी ओ०पी० की स्थापना कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा उपलब्ध कराना

*370. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत रानीपुर ग्राम के दुर्गा मंदिर के उत्तर, मव्वी ग्राम में कंसी पंचायत के मनिहास ग्राम स्थित श्मशान घाट अवस्थित है, जहाँ 40 वर्षों से ऊपर से शवों का अंतिम संस्कार होता है;

(2) क्या यह बात सही है कि खंड (1) के वर्णित श्मशान घाटों में शव को जलाने के लिये चबूतरा,शवयात्रियों के बैठने के लिये भवन का एवं पेयजल की अनुपलब्धता के कारण बरसात सहित सभी मौसम में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित श्मशान घाटों में खंड (2) में वर्णित सुविधायें उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*371. श्री सीताराम यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर प्रखंड के बरही स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गाड़ी उपलब्ध करना

*372. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास के पास सरकारी गाड़ी उपलब्ध नहीं रहने के कारण कार्यों का निष्पादन भाड़े की गाड़ी से की जा रही है, जिससे सरकार को राजस्व की क्षति होता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अनुमंडल को कबतक गाड़ी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कार्य पूरा करना

*373. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, निगरानी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि उप-सचिव, लघु जल संसाधन विभाग ने अपने पत्रांक [illegible] नि०प्र०/परिवाद पत्र सं० 32/13, दिनांक 22 नवम्बर, 2013 के माध्यम से मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, मो० [illegible] के खिलाफ जाँच हेतु अपर सचिव, निगरानी विभाग, बिहार सरकार से अनुरोध किया था।

(2) क्या यह बात सही है कि निगरानी जाँच संख्या 1/2014, [illegible]/मुजफ्फरपुर के द्वारा खंड (1) में उल्लेखित पदाधिकारी के खिलाफ वर्ष 2014 में निगरानी विभाग द्वारा जाँच शुरू कर दी गयी, परन्तु यह जाँच अबतक लम्बित है और प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा अपने पत्रांक 110, दिनांक 1 मार्च, 2017 के माध्यम से उक्त जाँच पूरा करने हेतु प्रधान सचिव, निगरानी विभाग से अनुरोध किया गया है,

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो खंड (2) में वर्णित विषय की जाँच अबतक पूरा नहीं करने का क्या औचित्य है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*374. <u>डॉ० शमीम अहमद</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के बंजरिया प्रखंड अन्तर्गत चैलाहाँ पंचायत के बंजरिया थाना से पश्चिम एवं बनकटवा प्रखंड अन्तर्गत बीजवनी उत्तरी पंचायत के अठमुहान गाँव में असामाजिक तत्वों द्वारा घेराबंदी नहीं रहने के कारण कब्रिस्तान का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*375. <u>श्री नरेन्द्र नारायण यादव</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा अन्तर्गत अंचल आलमनगर के अधीन ग्राम-सिंहार के अतुल्ला बासा स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी अभीतक नहीं हो पायी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना से जोड़ना

*376. <u>श्री बशिष्ठ सिंह</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत ग्राम पंचायत नरवर, नौवाँ एवं चेतौंस के राजस्व संबंधित कार्य कोचस प्रखंड से होता है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त तीनों पंचायतों का पुलिस संबंधित कार्य दिनारा थाना से होता है एवं तीनों पंचायतों से कोचस की दूरी 4 से 5 कि०मी० तथा दिनारा की दूरी 10 से 15 कि०मी० है, वहाँ के ग्रामीणों को कोचस आने-जाने में सुविधा होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायतों को दिनारा थाना से हटा कर कोचस थाना से जोड़ने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्तों की गिरफ्तार

*377. <u>श्री महबूब आलम</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के रानीगंज थाना के अंतर्गत बड़ुधा गाँव मांझी जाति के महादलित टोले पर 1 जनवरी, 2017 को अपराधियों द्वारा हमला कर एक दर्जन से अधिक लोगों का अपहरण कर बुरी तरह से मार-पीट किया जिसमें दो लोगों की मृत्यु (क्रमशः कमलेश्वरी ऋषिदेव व सत्यनारायण) एवं कई महिलायें घायल हुयी हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त घटना जो रानीगंज थाना कांड संख्या 1/17, दिनांक 1 जनवरी, 2017 दर्ज हुआ था, इसके मुख्य अभियुक्तों की अभीतक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त थाना कांड के मुख्य अभियुक्तों को कबतक गिरफ्तार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*378. श्री मुनेश्वर चौधरी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत गरखा थानाध्यक्ष श्री रमेश महतो को शराबबंदी एवं बालू बंदी में संलिप्त संदिग्ध गतिविधि के कारण पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के आदेश के आलोक में पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा दिनांक 22 अप्रील, 2016 को निलंबित किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि लगभग एक साल में ही श्री महतो को पुन: दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को गरखा थानाध्यक्ष के पद पर योगदान कराया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो श्री महतो को पुन: गरखा थानाध्यक्ष के पद पर योगदान कराने का क्या औचित्य है, क्या सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*379. श्री सत्यदेव सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है अरवल जिला के बंशी प्रखण्ड स्थित थाना का अपना आवासीय भवन नहीं होने से थाना में पदस्थापित थानाध्यक्ष सहित सभी कर्मचारी असुरक्षित हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त थाना के आवासीय भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*380. श्रीमती एज्या यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहिउद्दीननगर प्रखण्ड के मोहिउद्दीन नगर उत्तर पंचायत के शेखटोली कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*381. श्री अशोक कुमार सिंह(97)--हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 17 जनवरी, 2018 को प्रकाशित शीर्षक ''बी०डी०ओ० आवास में नशे में गिरफ्तार तुलसी को जेल'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के पारू बी०डी०ओ० के सरकारी आवास पर रत्नेश कुमार, बी०डी०ओ० एवं तुलसी राय को शराब पीते हुये पकड़े गये, जिसमें तुलसी राय को जेल भेज दिये गये हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार में अप्रील, 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, उक्त बी०डी०ओ० ने शराबबंदी कानून का उल्लंघन कर आवास में शराब पीते हुये पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बी०डी०ओ० द्वारा शराबबंदी कानून का उल्लंघन कर शराब पीने एवं पिलाने में सरकारी आवास का उपयोग करनेवाले पर अभीतक कार्रवाई नहीं करने का क्या औचित्य है ?

थाना स्थापित करना

*382. श्री अशोक कुमार सिंह(224)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखण्ड के भदवा में 30 वर्ष पूर्व पुलिस चौकी था, जो अब बंद है;

(2) क्या यह बात सही है कि भदवा से रफीगंज थाना की दूरी 20 कि०मी० है, जिसके कारण पुलिस बल को पहुँचने में काफी समय देर की वजह से अपराधी अपराध कर भागने में सफल हो जाते हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भदवा एवं आस-पास में घटित घटनाओं को रोक-थाम एवं शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु भदवा में पुनः पुलिस चौकी के स्थान पर थाना स्थापित करने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*383. श्री प्रभुनाथ प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के अगियाँव प्रखण्ड अन्तर्गत रतनाढ़ पंचायत के ग्राम रतनाढ़ में 2 वर्ष पूर्व में कब्रिस्तान की घेराबंदी अर्द्धनिर्मित करके छोड़ दिया गया है, जिसके कारण उक्त स्थान पर आवारा पशुओं का आना-जाना लगा रहता है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शेष बचे हुये उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी को पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क दुर्घटना कम करना

*384. श्री जितेन्द्र कुमार राय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत एस०एच० 73, शितलपुर बाजार से मढ़ौरा होकर तरैया मशरख तक सड़क पर ट्रैफिक अधिक होने एवं सड़क काफी घुमावदार होने के कारण प्रत्येक वर्ष सैकड़ों दुर्घटना हो जाती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क पर दुर्घटनायें कम करने के लिये उपाय कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*385. श्री शम्भुनाथ यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के सिमरी प्रखण्ड में दिनांक 2 नवम्बर, 2017 को बाइक सवार सुमेश्वर चौधरी पिता-रामाधार चौधरी ग्राम-चकनी थाना- सेमरी की मृत्यु दुर्घटना स्थल पर हो गयी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि पीड़ित परिवार द्वारा राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट के साथ मृत्यु प्रमाण-पत्र, प्राथमिकी दर्ज एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट सम्मिलित कर मुआवजा देने हेतु आग्रह किया गया था, लेकिन आजतक पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा कोई मुआवजा की राशि नहीं दी गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसे जाँच कराकर पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ठोस साक्ष्य देना

*386. श्री नारायण प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के व्यवसायी अमित कुमार का अपहरण बेतिया जिला मुख्यालय से 21 नवम्बर, 2017 को हो गयी थी, जिसके मृत्यु की पुष्टि बेतिया पुलिस कर चुकी है लेकिन डेड बॉडी या मृत्यु से जुड़ा कोई प्रमाण आजतक प्राप्त नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त व्यवसायी के मृत्यु का ठोस साक्ष्य परिजनों को कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ट्रैफिक जाम से निजात

*387. श्रीमती वर्षा रानी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत विक्रमशीला पुल से सबौर तथा कहलगाँव के बीच एन0एच0 80 पर प्रतिदिन ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण आम नागरिकों को आवागमन में काफी कठिनाइयाँ होने के साथ-साथ खासकर मरीजों को जाम में फस जाने के कारण ससमय अस्पताल नहीं पहुँने के कारण कभी-कभी मृत्यु भी हो जाती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ट्रैफिक जाम से कबतक निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्त की गिरफ्तारी

*388. श्री कुमार सर्वजीत--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत इमामगंज के डुमरियाँ प्रखण्ड के मैगरा गाँव में 22 जनवरी, 2005 को पूर्व सांसद स्व0 राजेश कुमार की हत्या कर दी गयी थी, जिसका थाना काण्ड संख्या-01/2005 है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त हत्या कांड के दोषी अभियुक्तों की पुलिस द्वारा आजतक गिरफ्तारी नहीं की गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हत्या के दोषी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान घेराबन्दी

*389. श्री आबिदुर रहमान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत अररिया प्रखंड के अररिया बस्ती पंचायत के बैरगाछी हरिजन टोला के निकट वाफो कब्रिस्तान है, जिसका घेराबन्दी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान असुरक्षित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना का दर्जा

*390. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत डोभी में सहायक थाना वर्षों से कार्यरत होने के कारण प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो डोभी सहायक थाना को पूर्ण थाना का कबतक दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*391. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत गोरेया कोठी प्रखण्ड के मुस्तफाबाद बाजार में कब्रिस्तान है, जो दो एकड़ में है जिसका घेराबन्दी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करना

*392. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में रीगा सुगर मिल, सीतामढ़ी द्वारा किसानों के बकाये राशि 37,01,87,317 लाख रुपये का अबतक भुगतान नहीं किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीफ) का विनियम अधिनियम 1981 की धारा 43(2)(ii) एवं 43(3)(ii) तथा नियमावली के तहत 14 दिनों के अंदर भुगतान करने का प्रावधान है तथा 14 दिनों से अधिक की स्थिति में सूद सही भुगतान करने का प्रावधान है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त किसानों की बकाया राशि सूद सहित भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*393. श्री उपेन्द्र पासवान--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बखरी अनुमंडल मुख्यालय में कार्यपालक दण्डाधिकारी का पद विगत एक वर्षों से रिक्त है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त रिक्त पदों पर कार्यपालक दण्डाधिकारी का कबतक पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवास की व्यवस्था

*394. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर थाना का भवन एवं पदाधिकारियों तथा अन्य सहयोगियों के लिये आवास की सुविधा नहीं होने से कार्यों के निष्पादन, आवश्यक कागजात के रख रखाव एवं अस्त्र-शस्त्र के सुरक्षा की भारी समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त थाना के भवन एवं पदाधिकारियों तथा अन्य सहयोगियों के आवास की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*395. श्री नारायण प्रसाद--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प0 चम्पारण जिलान्तर्गत शुगर मिल, मझौलिया के गन्ना आपूर्ति कलेण्डर सत्र 2017 के अनुसार गन्ना कास्तकार महादेव महतो, कृषक कोड 1006/1166 को रोस्टर के अनुसार कुल 41 टेलर का चालान तथा श्री लालदेव महतो, कृषक कोड 1009/1060 को रोस्टर के अनुसार कुल 24 चालान मिलना है जबकि 20 जनवरी, 2018 तक दोनों कास्तकारों को मात्र दो-दो चालान प्राप्त हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार रोस्टर के अनुसार गन्ना चालान की आपूर्ति नहीं करने वाले चीनी मिल प्रबंधक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मंदिर की घेराबंदी

*396. श्री हरिशंकर यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत रघुनाथपुर प्रखंड के ग्राम-मुरारपट्टी में रामजानकी का मंदिर है जिसकी घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मंदिर की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*397. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला सीवान के प्रखंड लकड़ी नबीगंज के लकड़ी टोले माधोपुर में कब्रिस्तान है जिसकी घेराबंदी नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*398. श्री अभय कुमार सिन्हा उर्फ अभय कुशवाहा--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के टिकारी अनुमंडल में अग्निशमन कार्यालय को अपना भवन नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अनुमंडल अग्निशमन कार्यालय का भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्जा दिलाना

*399. श्री अशोक कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत थाना कदमकुआँ, पोस्ट महेन्द्रू, मुहल्ला मुसल्लहपुर के निवासी विजय कुमार उर्फ जगरनाथ प्रसाद, पिता स्व0 रघुनन्दन प्रसाद ने दिनांक 7 फरवरी, 2012 को श्रीमती सीमा देवी, पति श्री विनोद कुमार यादव, मुहल्ला मुसल्लहपुर, जिला पटना को 1,275 वर्गफीट मकान का रजिस्ट्री पटना में किया है जिसका वसीका नं0 2707, बुक संख्या 01, जिल्द नं0 47, पेज नं0 425 से 431 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि श्री विजय कुमार उर्फ जगरनाथ प्रसाद द्वारा उक्त मकान को रजिस्ट्री करने के बावजूद दबंगता से अभीतक कब्जा किये हुये हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विजय कुमार उर्फ जगरनाथ प्रसाद पर कार्रवाई करते हुये श्रीमती सीमा देवी को मकान पर कब्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*400. डॉ0 राजेश कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखंड के सरोत्तर कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है जिसके कारण कब्रिस्तान चारागाह बन गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*401. श्री नौशाद आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत ठाकुरगंज प्रखंड के बेहबुलडांगी एवं दिघल बैंक काँटा टप्पू कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक यंत्र देना

*402. श्रीमती गायत्री देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार एवं सोनवरसा प्रखंड में क्रमशः 27 एवं 20 पंचायत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि परिहार एवं सोनवरसा प्रखंड में बड़ा अग्निशमन यंत्र नहीं है जिससे गर्मी के दिनो में आग लगने के समय पर अग्निशमन गाड़ियों के नहीं पहुँचने पर जान-माल की भारी क्षति होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में अग्निशामक यंत्र देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*403. डॉ0 शकील अहमद खाँ--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत डंडखोरा प्रखंड में डंडखोरा कब्रिस्तान एवं द्राशय कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*404. श्रीमती अमिता भूषण--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बरौनी प्रखंड के मैदा वभनगामा पंचायत स्थित हामोडीह कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की कबतक घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विकसित करना

*405. श्री नीरज कुमार--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कुर्सेला प्रखण्ड के देवकीपुर गांव के पास रेलवे लाइन के समीप देश की आजादी में टेलीफोन और रेलवे लाइन उखाड़ने के जुल्म में अंग्रेजी–हुकूमते श्री घतुरी मोछो, रमचु यादव, वालजी मंडल एवं नथाल परिहार को फांसी दे दी गई थी। उसके याद में उक्त स्थान पर शहीद पार्क नहीं है, यदि उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थल को शहीद पार्क के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*406. श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत अंचल जितवारपुर मौजा लगुनिया रघुकण्ड ग्राम दरियापुर स्थित कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की जमीन की मापी कराकर कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*407. श्री राजू तिवारी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत अरेराज प्रखंड के खजुरिया (ममरखा) गांव में दो सौ वर्ष पुराना कब्रिस्तान है, जिसकी घेराबंदी नहीं होने से आवारा पशुओं का जमावड़ा बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार, उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि वृद्धि करना

*408. डॉ० अब्दुल गफूर--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत बिहार के अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए अधिक से अधिक पाँच लाख रुपये व्यापार करने के लिए दिया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बढ़ती हुई महँगाई के मद्देनजर उपर्युक्त राशि काफी कम है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पाँच लाख की राशि से बढ़ाकर दस लाख (10,00,000) करने का विचार रखती है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*409. श्रीमती लेशी सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत के०नगर प्रखण्ड अधीन रहुआ पंचायत के चकला पश्चिम कब्रिस्तान तथा गोकुलपुर पंचायत के धनहारा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*410. श्री शिवचन्द्र राम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के देसरी प्रखण्ड अंतर्गत रसुलपुर हबीब पंचायत के रसुलपुर हबीब में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

संचालित करना

*411. डॉ० मेवालाल चौधरी--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के तारापुर प्रखंड में उप-कोषागार की स्थापना वर्ष 1999 में ही हुयी थी परन्तु अबतक वहाँ पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं हुआ जिससे वहाँ कार्य संचालन नहीं होता है तथा आम लोगों को 65 कि०मी० दूर मुख्यालय जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उप-कोषागार, तारापुर को संचालित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पक्का मकान बनाना

*412. डॉ० मेवालाल चौधरी--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 8 जनवरी, 2018 को प्रकाशित ''जर्जर खपरैल मकान में रहते हैं थाना के जवान'' शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत टेटियाबम्बर प्रखंड के टेटियाबम्बर थाना का भवन जर्जर है जिसमें थाना पदस्थापित है, जिसमें दो ए०एस०आई०, 20 जवान तथा उनका अस्त्र-शस्त्र रहता है एवं उन्हें कार्य करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त थाना को पक्का मकान बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जेल का निर्माण

*413. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला में नये जेल निर्माण का कार्य अभीतक पूरा नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार औरंगाबाद में नये जेल का निर्माण शीघ्र पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*414. श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत अंचल जितवारपुर मौजा चकअब्दुलगनी स्थित कब्रिस्तान है, जिसका अतिक्रमण के कारण अक्सर दो सम्प्रदायों के बीच विवाद होता रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की नापी कराकर घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था

*415. श्री राज किशोर सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत पटेढ़ी बेलसर प्रखंड में झोपड़ीनुमा घरों की अधिकता होने के कारण प्रत्येक वर्ष आगलगी की घटनाएँ होती है, जिसके कारण जान-माल की काफी क्षति होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला मुख्यालय से पटेढ़ी बेलसर प्रखंड में अग्निशामक यंत्र को आने में एक घंटा से अधिक समय लग जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नया भवन का निर्माण

*416. श्री राजू तिवारी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत गोबिन्दगंज थाना का भवन अत्यंत जर्जर एवं वर्षों पुराना है, जिससे थाना कर्मियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना का नया भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था

*417. श्री लक्ष्मेश्वर राय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लौकही प्रखंड एवं खुटौना प्रखंड में छोटा अग्निशामक यंत्र है, जिससे भयंकर आग लगने पर आग पर काबू नहीं हो पाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों स्थानों पर छोटे अग्निशामक यंत्र के स्थान पर उच्च शक्ति वाला अग्निशामक यंत्र कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*418. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत शिवसागर प्रखण्ड के आलमपुर कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं किया गया है, जिसके कारण दो समुदायों के बीच वाद-विवाद होता रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*419. श्री नरेन्द्र नारायण यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा अन्तर्गत अंचल पुरैनी के अधीन ग्राम पंचायत कुरसंडी के ग्राम बासुदेवपुर के बधबादीरा में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी अभीतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*420. श्री लक्ष्मेश्वर राय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खुटौना प्रखण्ड के परसाही पंचायत के परसाही लहरी पोखर पर अवस्थित कब्रिस्तान वार्ड-13 लुशियालपट्टी पुराना टोल स्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 5 मार्च, 2018 (ई०) ।

राम श्रेष्ठ राय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 98—डी०टी०पी०—550